बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 11 मार्च 2021 गुरुवार

आरईसी REC

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दूसरे अंतरिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने बुधवार, 10 मार्च, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा घोषित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹5/– (पांच) प्रति इक्विटी शेयर की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश की अदायगी के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों की पात्रता की गणना हेतु **शुक्रवार, 19 मार्च, 2021** को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। उक्त अंतरिम लाभांश **मंगलवार, 30 मार्च, 2021** को उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा/भेजा जाएगा, जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयरों के संबंध में शुक्रवार, 19 मार्च 2021 को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (रियों) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लाभार्थी स्वामियों के रूप में; तथा (ख) भौतिक शेयरों के संबंध में शुक्रवार, 19 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे अपनी ई–मेल आईडी को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के पास पंजीकृत/अद्यतन करा दें और वित्त वर्ष 2013–14 और बाद के वर्षों के लिए भुगतान न की गई/दावा न की गई किसी भी लाभांश राशि का दावा करने के लिए आर एंड टीए अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: आरईसी, सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट 31–32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद– 500032 टेलीफोन: 91–40–67161500 से संपर्क करें अथवा einward.ris@kfintech.com/balaji.reddy@kfintech.com/complianceofficer@recl.in पर ई–मेल कर दें। इसके अलावा निवेशकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वित्त वर्ष 2012–13 में या इससे पहले आरईसी द्वारा घोषित किए गए लाभांश के संबंध में भुगतान न की गई/दावा न की गई लाभांश राशि, यदि कोई हो तो, का दावा करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण से संपर्क करें, क्योंकि यह आईईपीएफ को पहले ही अंतरित कर दी गई है।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/–
(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 मार्च, 2021

पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
फोन: 91-11-24365161, फैक्स: 91-11-24360644
ई–मेल: complianceofficer@recl.in, वेबसाइट: www.recindia.nic.in

टिप्पणी:– वित्त अधिनियम 2020 के अनुसरण में 01 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को मिलने वाली लाभांश आय आयकर के दायरे में होगी। तदनुसार लाभांश का भुगतान करते समय कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर ही कर की कटौती (टीडीएस) अपेक्षित होगी। टीडीएस संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे फॉर्म 15जी/15एच जमा कर दें तथा अपना वर्तमान आवासीय पता, पैन संबंधी विवरण, तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुरूप श्रेणी को, अगर अभी तक अद्यतन नहीं कराया है तो अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास या कंपनी/आर एंड टीए के ऊपर उल्लिखित ई–मेल आईडी पर अद्यतन करा लें।

Business Standard NEW DELHI | THURSDAY, 11 MARCH 20

आरईसी REC

REC Limited (A Government of India Enterprise)

CIN: L40101DL1969GOI005095

Notice of Record Date for 2nd Interim Dividend for FY 2020-21

Notice is hereby given in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has fixed **Friday, March 19, 2021** as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of 2nd Interim Dividend @ ₹5/- (five) per equity share for the financial year 2020-21, as declared by the Board of Directors in its meeting held on Wednesday, March 10, 2021. The said Interim Dividend shall be paid/dispatched on **Tuesday, March 30, 2021** to those shareholders whose names appear (a) as beneficial owners in the statement(s) to be furnished by the Depository(ies) as at the close of business hours on Friday, March 19, 2021 in respect of shares held in electronic form; and (b) as members in Register of Members on Friday, March 19, 2021, in respect of physical shares.

Further, members are requested to register/update their e-mail IDs with Depository Participant(s)/Registrar & Transfer Agent (R&TA) and contact the R&TA i.e. M/s Kfin Technologies Private Limited, Unit : REC, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500032 Tel.: 91-40-67161500 or e-mail at einward.ris@kfintech.com/balaji.reddy@kfintech.com/complianceofficer@recl.in for claiming any unpaid/unclaimed dividend amount pertaining to financial year 2013-14 and thereafter. Further, investors are also advised to approach the IEPF Authority for claiming unpaid/unclaimed amounts, if any, relating to dividend declared by REC for the financial year 2012-13 or before, which have already been transferred to IEPF.

For REC Limited
Sd/-
(J. S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary

Place : New Delhi
Date : March 10, 2021

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel.: 91-11-24365161, Fax: 91-11-24360644
E-mail: complianceofficer@recl.in Website: www.recindia.nic.in

Note:- As earlier informed, pursuant to notification of Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit Form 15G/15H and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961, unless already submitted, with their Depository Participant(s) or with the Company/R&TA at the e-mail IDs mentioned above.